झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

तृतीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 25.08.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री फूलचन्द मण्डल स0वि0स0	राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र संख्या 1188 के द्वारा राज्य के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को छठे वेतनमान में Ph.D वेतनवृद्धि तथा परिवहन भत्ता का लाभ देने का निर्णय लिया था। यह वेतनवृद्धि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के रेगुलेशन के तहत है तथा इसे भारत सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। झारखण्ड राज्य को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में कार्यरत शिक्षकों को वेतनवृद्धि व परिवहन भत्ता का लाभ प्राप्त है। परन्तु शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के उदासीनता के कारण वर्ष 2006 के पहले एवं उसके बाद Ph.D की उपाधि प्राप्त शिक्षक इस लाभ से वंचित है, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प सं0 1188 एवं UGC, नई दिल्ली के आदेश का उल्लंघन है। अतः इस अति महत्वपुर्ण विषय के समाधान हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
02-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	वर्षों से पतरातू थर्मल पावर प्लांट झारखण्ड को सबसे सस्ती एवं सबसे अधिक बिजली देने वाला प्लांट है और झारखण्ड सरकार के नियंत्रण में भी है। सरकार की अदूरदर्शी नीति एवं बिजली बोर्ड में व्याप्त अनियमितताओं के शिकार यह प्लांट आज बिमारू एवं अलाभकारी बन गया है। सरकार उक्त प्लांट को पुनर्जिवित न करके 40 हजार करोड़ से अधिक मूल्य के इस Plant को NTPC के हाथों कौड़ी के भाव के दर पर सौंप दी है। सरकार का यह निर्णय न तो राज्यहित में है और न ही लोकहित में है। उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	उर्जा

01.	02.	03.	04.
03-	श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0	"झारखण्ड में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 11% है। अनुसूचित जाति के लोग सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़े हुए है। राज्य निर्माण के 14 वर्ष में अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक, आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। अनुसूचित जाति के गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पृथक से कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। जो योजनाएँ चल भी रहीं है वह संबंधित अधिकारियों की शिथिलता और असंवेदनशीलता के कारण संचिका में ही सीमित है। ज्ञातव्य हो कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए वर्ष-2011-2012 से 2014-15 तक विशेष अंगीभूत योजना अन्तर्गत कुल 58 करोड़ 22 लाख रूपये अनुसूचित जाति विकास निगम के पास उपलब्ध थे, जिसके विरूद्ध जून 2015 तक 37 करोड़ 91 लाख रूपये खर्च नहीं किये गए। यह राशि PL खाते में जमा रखे गये हैं, जो अनुसूचित जाति के विकास के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। मैं अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ठोस रूपरेखा तैयार कर कियान्वयन के लिए झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति विकास परिषद् के गठन करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
04-	सर्वश्री दीपक विरूवा, अनिल मुर्मू एवं श्री दशरथ गागराई स0वि0स0	मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0-2/एम0-7-38/2006-1209, पटना, दिनांक-07 जुलाई, 2006 द्वारा अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (शिक्षण शाखा) पुरूष एवं महिला शिक्षकों को 01.01.1977 के प्रभाव से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलियन किया गया है। संविलियन से लाभान्वित होने वाले कुल 880 शिक्षकों में से बिहार प्रदेश के 579 शिक्षकों को वित्तीय लाभ दे दिया गया है। परन्तु झारखण्ड प्रदेश आवंटित 301 कर्मियों को वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया गया है, विदित् हो कि झारखण्ड प्रदेश आवंटित सभी 301 कर्मी सेवा निवृत्त हो चुके हैं। अतएव उक्त संकल्प के आलोक में झारखण्ड प्रदेश आवंटित सेवा निवृत्त पुरूष एवं महिला शिक्षकों को वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
05-	सर्वश्री आलोक चौरसिया, साधु चरण महतो एवं श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	पलामू जिला (मेदिनीनगर) में सरकारी अस्पताल कई वर्ष पुराने है जिसकी जिर्णोद्धार की गई है एवं निर्माण भी, परन्तु खेद है कि सरकार उक्त अस्पताल पर लाखों रूपये खर्च तो कर रही है परन्तु विशेषज्ञ चिकित्सकों, अपर्याप्त उपकरणों और तकनिशियन के अभाव में अभी तक उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, साथ ही उक्त परिसर के अन्दर सफाई व्यवस्था भी लचर है।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.
		समुचित प्रबंधन और समरता वातावरण के अभाव में लोग अधिकतर प्राईवेट नरर्सिंग होम की ओर कुच कर जाते है तथा अत्यधिक घायलों को उक्त अस्पताल से सीधे राँची रिम्स रेफर कर दिया जाता है यहाँ से राँची की अधिक दूरी रहने से ऐसे लोग बीच रास्ते मे ही दमतोड़ देते है। इसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की व्यवस्था कर दिये जाने से लोगों को समय रहते जान बचाई जा सकती है। अतः मैं पलामू जिला सरकारी अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की व्यवस्था की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहूँगा।	

राँची,
दिनांक- 25 अगस्त, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-59/2015-2477/वि0 स0, राँची, दिनांक- 24/8/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ ऊर्जा विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/ स्कूली शिक्षा एव साक्षरता विभाग एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-59/2015-2477/वि0 स0, राँची, दिनांक- 24/8/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

24/08